न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
243 / 2024

दायर दिनांक
29.05.2024

निर्णय दिनांक
10.06.2024

उनवान

1. नन्दा खारोल आत्मज भागू जी खारोल, जाति खारोल, उम्र वयस्क, निवासी सिदड़ियास, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. गणपत खारोल आत्मज उगमा जी खारोल, जाति खारोल, उम्र वयस्क, निवासी सिदड़ियास, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. सम्पत खारोल आत्मज उगमा जी खारोल, जाति खारोल, उम्र वयस्क, निवासी सिदड़ियास, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)

– प्रार्थीगण

बनाम

1. सजना पत्नी भोला जी रेबारी जाति रेबारी, उम्र वयस्क, निवासी सिदड़ियास, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. समदा पुत्री भोला जी रेबारी जाति रेबारी, उम्र वयस्क, निवासी सिदड़ियास, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. जमना पुत्री भोला जी रेबारी जाति रेबारी, उम्र वयस्क, निवासी सिदड़ियास, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. भूला पुत्री भोला जी रेबारी जाति रेबारी, उम्र वयस्क, निवासी सिदडियास, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. भंवरी पुत्री भोला जी रेबारी जाति रेबारी, उम्र वयस्क, निवासी सिदड़ियास, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
6. रूपा पुत्री मूला जी रेबारी, जाति रेबारी, उम्र वयस्क, निवासी सिदड़ियास, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
7. लाड पत्नी मूला जी रेबारी, जाति रेबारी, उम्र वयस्क, निवासी सिदड़ियास, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
8. बाबूलाल आत्मज मूला जी रेबारी, जाति रेबारी, उम्र वयस्क, निवासी सिदड़ियास, तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)
9. हरजीराम आत्मज मूला जी रेबारी, जाति रेबारी, उम्र वयस्क, निवासी सिदड़ियास, तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)
10. मंजू पत्नी ज्ञानमल जी खटीक, उग्न वयस्क, निवासी प्यार जी खटीक (पहलवान जी), के मकान के पीष, सिद्धी विनायक हॉझीटल रोड, तिलकनगर, भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

11.नन्दकिशोर आत्मज स्व. श्री रामचन्द्र जी शर्मा, निवासी बी–249, संजय कॉलोनी, भीलवाड़ा (राज.)

12.गोपाल आत्मज स्व. श्री रामचन्द्र जी शर्मा, निवासी बी–249, संजय कॉलोनी, भीलवाड़ा (राज.)

13. श्यामलाल आत्मज स्व. श्री रामचन्द्र जी शर्मा, निवासी बी–249, संजय कॉलोनी, भीलवाडा (राज.)

14.लादू आत्मज हरनाथ जी रेबारी, जाति रेबारी, उम्र वयस्क, निवासी सिदड़ियास, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)

15.जीया पत्नी हरनाथ जी रेबारी, जाति रेबारी, उम्र वयस्क, निवासी सिदडियास, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)

16.तहसीलदार भीलवाड़ा, तहसील व जिला भीलवाड़ा

—विपक्षीगण

उपस्थितः—अधिवक्ता प्रार्थी केदार वैष्णव

अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 15 उपस्थित नहीं

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम :–

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सिदड़ीयास प0ह0 सिदड़ीयास भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र महुआकलां तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069–2073 के खाता संख्या 115 की अभिलिखित आराजियात 1744/1 कुल किता 01 कुल रकबा 0.3794 हैक्टेयर व खाता संख्या 286 की आराजी संख्या 2182/1744 कुल किता 01 कुल रकबा 1.2898 है0 भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे.काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 15 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा सिदड़ीयास प0ह0 सिदड़ीयास भू-अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र महुआकलां तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069-2073 के खाता संख्या 115 की अभिलिखित आराजियात 1744/1 कुल किता 01 कुल रकबा 0.3794 हैक्टेयर व खाता संख्या 286 की आराजी संख्या 2182/1744 कुल किता 01 कुल रकबा 1.2898 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 10.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा